

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 जनवरी 2018—पौष 28, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2018

क्र. एफ-ए-3-53-2016-1-पांच (1).—मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 84-क के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उपबंधित करती है कि प्ररूप 43 में द्वितीय अपील का ज्ञापन, व्यापारी द्वारा अपीलेट बोर्ड के शासकीय वेब-पोर्टल के माध्यम से वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा.

2. यदि द्वितीय अपील का ज्ञापन, डिजीटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, तो व्यापारी ऐसे प्ररूप में ज्ञापन का सत्यापन प्रस्तुत करेगा जैसाकि वेब-पोर्टल पर अपीलेट बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए.
3. उक्त नियमों के नियम 4-क और 58 के उपबंध ऐसे ज्ञापन पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.
4. यह अधिसूचना दिनांक 18-01-2018 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2018

क्र. एफ-ए-3-53-2016-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ-ए-3-53-2016-1-पांच (1), दिनांक 18 जनवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 18th January 2018

No. F. A-3-53-2016-1-V-(1).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 84-A of the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, the State Government, hereby, provides that a memorandum of second appeal in Form 43 shall be furnished by a dealer through the official web portal of the Appellate Board in Acoordance with the instructions given in the web portal.

2. If the memorandum of second appeal is furnished electronically without digital signature, the dealer shall submit verification of the memorandum in the Form as may be specified by the Chairman Appellate Board on the web portal.

3. The provisions of rules 4-A and 58 of the said rules shall *mutatis mutandis* apply to such memorandum.

4. This notification shall come into force from 18-01-2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2018

क्र. एफ-ए-3-53-2016-1-पांच (2).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 2 के खण्ड (प क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अपीलेट बोर्ड के आन-लाईन आवेदनों के प्रयोजन हेतु उक्त खण्ड के अधीन www.mp.nic.in/comtaxab वेब-पोर्टल अधिसूचित करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2018

क्र. एफ-ए-3-53-2016-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-53-2016-1-पांच (2), दिनांक 18 जनवरी 2018, का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 18th January 2018

No. F. A-3-53-2016-1-V-(2).—In exercise of the powers conferred by clause (pa) of section 2 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, notifies the web portal www.mp.nic.in/comtaxab under the said clause for the purpose of online applications of the Appellate Board.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.